.स्पीड पोस्ट/
द्वारा ई–मेल से भी

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी

सेवा में

1. **समस्त जिला विकास** अधिकारी, उत्तराखण्ड।

2 **समस्त परियोजना निदेशक,** जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गरीबी उन्मूलन क्षमता रोजागार प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड।

3. **समस्त आचार्य प्रसार** प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तराखण्ड।

संख्या 423 /2–2–स्था0/308/2022–23 दिनांक 31 मई , 2023
विषय :– वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 से स्थानान्तरण सत्र 2023–24में स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निर्धारण आदि प्राविधानों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

शासन के उक्त पत्र दिनांक 10 मई,2023 से निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आपके स्तर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राज्यस्तरीय स्थानान्तरण से आच्छादित कार्मिकों जिनका स्थानान्तरण आयुक्तालय, स्तर से किया जाना है के अन्तर्गत पात्र कार्मिकों की पात्रता सूची विभागीय बेवसाइट (www.ukrdd.uk.gov.in)पर अपलोड की गयी है। विभागीय बेवसाइट पर अपलोड की गयी पात्र कार्मिकों की पात्रता सूची का अपने स्तर पर भली–भांति परीक्षण/अवलोकन करते हुए यदि अपलोड की गयी सूचियों में कोई संशोधन आवश्यक हो तो संशोधन बिषयक सूचना मय अभिलेखों सहित दिनांक 03.6.2023 के पूर्वाह्न तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम –2017 की व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प दिनांक 03.6.2023 के पूर्वाह्न तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(2)(घ) से आच्छादित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार साक्ष्य/अभिलेख उनके नाम/संगठन में धारित पदनाम सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित सूचना अनिवार्य रूप से दिनांक 03.6.2023 तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया इस ओर व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,
(हरगोविन्द भट्ट)
उपायुक्त प्रशासन,
ग्राम्य विकास

प्रतिलिपिः– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त प्रशासन,
ग्राम्य विकास